भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 20, 1985

संख्या एफ. 2(5)राज/6/85:—चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (एन्टाईटल्ड) है।

और चूंकि सरकार उपयुक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन (प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट सं. 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट आफिसर, असिस्टेंट सेटिलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन यथासाध्य उसी प्रणाली से किया जायगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 9, 11 (1); 12, 13, 14, 16, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 उप-धारा (3) के परन्तुक प्रदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन समाप्ति होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न अनुसूची में अंकित किये गये हैं राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित किये गये हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का सामान बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची—वन भूमि और बंजर भूमि।

द्वितीय अनुसूची—संरक्षित वृक्ष।

क्र. सं.	नाम वन खण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8	
28. [illegible]		तिजारा	अलवर	उत्तर-पलासली ग्राम लायाला पूर्व-सरहद पंजाब दक्षिण-सरहद पंजाब पश्चिम-रूध पहाड़ सामलाती	पाचोर	912	122	06
					नौगली	1220	943	09
						1265	361	17
						1268	32	04
						1269/1	30	02
						1270	331	08
						1271	170	15
						1272/1	246	00
					योग	7	2115	05
					कुल योग	8	2237	11

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)